न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, हाल- श्री गंगानगर

बनाम

अभियुक्त

1. श्री रुपलाल चौहान पुत्र श्री प्रतापलाल चौहान, उम्र 32 वर्ष, जाति- मेघवाल, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मेनेजर),

फर्मः- मैसर्स होटल कृष्णा, बस स्टेण्ड के पास, कंरोटी, तहसील- रेवदर, जिला-सिरोही निवासी- सुरजगढ़, तहसील- गोगुन्दा, जिला- उदयपुर

2. श्री सोहनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, जाति- राजपूत, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक),

फर्मः- मैसर्स होटल कृष्णा, बस स्टेण्ड के पास, कंरोटी, तहसील- रेवदर, जिला-सिरोही निवासी- 41 कुंठवा, निचली दसाणा की भागल, तह. नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

प्रकरण संख्याः 27/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 02 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 27.3.2015 को समय 3.00 पी.एम. पर आवेदक विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौरानें गश्त चैकिंग मैसर्स होटल कृष्णा, बस स्टेण्ड के पास, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर पॅहुचा व अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। उक्त दुकान में मैनेजर व विक्रेता की हैसियत से श्री रुपलाल चौहान पुत्र श्री प्रतापलाल चौहान, जाति- मेघवाल, निवासी- सुरजगढ़, तहसील- गोगुन्दा, जिला- उदयपुर उपस्थित मिले, जो होटल में आम जनता के उपयोग हेतु Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता को भरकर दी व प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है, जो मूल ही

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

संलग्न है। होटल के स्टोर के फर्श पर कार्टून में विक्रय हेतु मौजदू Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) की एक-एक लीटर की 98 सिल्ड पैक्ड बोतलों में से Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) की एक-एक लीटर की 16 सिल्ड पैकड बोतलें खरीदी व उसकी रुपये 240/- अदा कर रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। विक्रेता से बिल संबंधी जानकारी चाहने पर रुपलाल चौहान ने बताया कि माउन्ट आबू से कोई सप्लाई देने आता है, बिल नही दिया, उसके बताये नंबरों पर भी सम्पर्क किया, किन्तु फोन बन्द मिला। मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-376, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाह व मैनें हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक खरीदशुदा Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) की चार चार बोतलों को मिलाकर चार पैकेट बनाये एवं टेप से चिपकाया। चारों पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-376 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता, गवाह व मैनें हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफाफे में बंद कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 30.3.2015 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 30.3.2015 को मेरे द्वारा शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) की जांच रिपोर्ट क्रमांक:एलएस/233/एक्ट/2015/233 दिनांक 09.4.2015 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) का नमूना S-376 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही-307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

मिथ्याछाप (Misbranded) Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्तगण पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं अभियुक्तगण की ओर से लिखिज जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें यह अंकित किया गया है कि सिल्ड बोतलों के संबंध में परिवादी ने अभियुक्तगण को पूछा था तब अभियुक्तगण ने उन्हें यह बताया था कि पास ही होटल पर उक्त पानी आबूपर्वत से कोई आता है व सप्लाई देता है व आज पास में होटल वाला नही आया है जिससे उक्त होटल का माल आबूपर्वत से सप्लाई देने वाला यहां रखकर गया है। जिस पर परिवादी ने आबूपर्वत सप्लाई वाले से मोबाईल नंबर से बात की थी उसके उपरान्त भी अभियुक्तगण के विरुद्ध यह झूठा प्रकरण बनाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त पैक्ड बोतले आज तक कभी भी नही बेची है व न ही परिवादी ने अभियुक्तगण को उक्त पानी बेचते या किसी ग्राहक को अभियुक्तगण से खरीदते पकडा है। अभियुक्तगण द्वारा पानी की बोतलों का किसी प्रकार से कोई विक्रय नही किया गया है। परिवादी ने परिवाद में उल्लेख किया है कि उक्त काटुर्न पर व बोतलों पर आबूपर्वत की निर्माता कम्पनी का नाम पता लिखा हुआ था तथा उक्त कम्पनी में परिवादी ने फोन से भी सम्पर्क किया था, उक्त निर्माता कम्पनी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करना चाहिये था लेकिन परिवादी ने उसे जानबूझ कर इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है तथा निर्माता कम्पनी से मेल मिलाप कर निर्दोष व निम्न श्रेणी के मजूदरी पेशा व्यक्तियों को अभियुक्तगण बनाकर यह प्रकरण प्रस्तुत किया है जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति है जो कृष्णा होटल ढाबा को किराये पर लेकर चलाते थे एवं अब अपनी पारिवारिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय होने से उन्होनें उक्त डाबा भी छोड दिया है तथा वर्तमान में अपने पैतृक गांव में रहकर मजदूरी कर रहे है। उक्त सभी तथ्यों को जानते हुए परिवादी ने निर्माता कम्पनी को बचाते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध यह परिवादी पेश किया है जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अभियुक्तगण को उक्त पानी की बोतले न तो बेचते हुये पाया गया है व न ही उनके ढाबे पर ऐसी कोई खुली बोतल बेचने हेतु पाई गई है केवल पडौसी के रखे हुये सिल्ड पानी के कार्टुनों में से बोतले लेकर उक्त प्रकरण गलत रुप से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जो अवधि बाहर होने से कानूनन परिपोषणीय नही है। अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उललंघन नही किया है व अभियुक्तगण धारा 52 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने योग्य नही है, इसलिये अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही बन्द की जावे।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 26.6.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अभियुक्त के अधिवक्ता की दिनांक 26.6.2018 को बहस सुनी

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

गई। अभियुक्त के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियुक्तगण द्वारा संचालित होटल कृष्णा ढाबा पर आकर होटल में रखी हुई सिल्ड पैक बोतलों के संबंध में अभियुक्तगण से पूछताछ की, तो अभियुक्तगण ने उन्हें यह बताया था कि पास ही होटल पर उक्त पानी आबूपर्वत से कोई आता है व सप्लाई देता है व आज पास में होटल वाला नही आया है जिससे उक्त होटल का माल आबूपर्वत से सप्लाई देने वाला यहां रखकर गया है। जिस पर परिवादी ने आबूपर्वत सप्लाई वाले से मोबाईल नंबर से बात की थी उसके उपरान्त भी अभियुक्तगण के विरुद्ध यह झूठा प्रकरण बनाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त पैक्ड बोतले आज तक कभी भी नही बेची है व न ही परिवादी ने अभियुक्तगण को उक्त पानी बेचते या किसी ग्राहक को अभियुक्तगण से खरीदते पकडा है। अभियुक्तगण उक्त होटल कृष्णा को किराये पर लेकर संचालित करते थे व अभियुक्तगण ने उक्त होटल को अब छोड दिया है तथा अपने अपने गांव में मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। अभियुग्तगण गरीब व्यक्ति है, इसलिये अभियुक्तगण पर कम से कम जुर्माना आरोपित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.3.2015 को समय 3.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म होटल कृष्णा, बस स्टेण्ड के पास, करोंटी तहसील रेवदर, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म होटल कृष्णा, बस स्टेण्ड के पास, करोंटी पर मैनेजर एवं विक्रेता की हैसियत से रुपलाल चौहान पुत्र श्री प्रतापलाल चौहान, जाति- मेघवाल, निवासी- सुरजगढ़, तहसील- गोगुन्दा, जिला- उदयपुर उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त होटल कृष्णा का निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) के मिथ्याछाप होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय की इच्छा जाहिर करते हुए गवाह के समक्ष इसकी सूचना विक्रेता रुपलाल चौहान को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की तथा होटल के स्टोर में फर्श पर कार्टून में बिक्री हेतु मौजूद Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) की एक-एक लीटर की 98 सिल्ड पैक्ड बोतलों में से Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) की एक-एक लीटर की 16 सिल्ड पैकड बोतलें खरीदी है एवं उसकी कीमत रुपये 240/- (अक्षरे रुपये दो सौ चालीस मात्र) नकद अदा की एवं खरीद बिल तैयार कर रसीद प्राप्त की गई। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता रुपलाल चौहान एवं गवाह श्री लक्ष्मण राम, ए.एन.एम. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

कोड एवं कमांक S-376, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक खरीद शुदा Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) के चार-चार सिल्ड पैक्ड बोतलों को मिलाकर चार पैकेट बनाये एवं टेप से चिपकाया और चारों पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया, फिर चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-376 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विक्रेता रुपलाल चोहान से Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) की सिल्ड पैक्ड बोतलें नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.3.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.3.2015 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) के नमूना संख्या S-376 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./233/Act/2015/233 दिनांक 09.4.2015 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता रुपलाल चौहान से वास्ते नमूना जांच कय किया गया Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है उक्त

.....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

होटल कृष्णा, बस स्टेण्ड के पास, करोंटी के मैनेजर व विक्रेता रुपलाल चौहान द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:एफएसएसए/स.ची./2017/810 दिनांक 02.8.2017 के द्वारा इस प्रकरण में न्याय निर्णय आवेदन पेश करने हेतु समय सीमा दिनांक 30.9.2017 तक विस्तारित की गई है। जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस न्यायालय में यह न्याय निर्णयन आवेदन अन्दर मियाद दिनांक 22.8.2017 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त Packaged Drinking Water (X-lliant Brand) के क्रय करने का बिल प्रस्तुत नही किया तथा न ही इस न्यायालय में क्रय बिल अभियुगतण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त होटल कृष्णा, बस स्टेण्ड के पास, करोंटी में अभियुक्त रुपलाल चौहान मैनेजर है एवं उक्त होटल कृष्णा को मालिक की हैसियत से अभियुक्त सोहन सिंह पुत्र श्री किशनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- 41 कुंठवा, निचली दसाणा की भागल, तह. नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द संचालित करता है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त सोहनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- 41 कुंठवा, निचली दसाणा की भागल, तह. नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (खाद्य कारोबारकर्ता एवं संचालक, होटल कृष्णा, बस स्टेण्ड के पास, करोंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही) पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त अभियुक्त सोहनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- 41 कुंठवा, निचली दसाणा की भागल, तह. नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही